न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र

आर.ए.एस.

42/2019

...एस : 2019/00386

सुखविन्द्रपाल पुत्र बूटाराम जाति रामदासिया साकिन लालपुरा छोटा श्रीगंगानगर राजस्थान।

परमजीतकौर पत्नी बूटाराम जाति रामदासिया साकिन लालपुरा छोटा श्रीगंगानगर राजस्थान।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—:अप्रार्थीगण

तारीख रजू:—10.07.2019

उपस्थित:

1. श्री अवतारसिंह बराड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री राजपेरोकार सरकार अप्राथीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधि,

—निर्णय— दिनांक : 10.03.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी की माता के नाम चक 12 पीटीडी ए पं.नं. 265/351 के कि.नं. 1 ता 3 प्रत्येक में 0.025 है. कि.नं. 4 व 5 प्रत्येक में 0.025है. इस प्रकार कुल 0.125 है. गैर मुमकिन खाला जमाबंदी में दर्ज है इसी मुरब्बा नम्बर के कि.नं. 5—6—15—16—25 में 0.126 है. गैर मुमकिन खाला दर्ज है। मौका पर सिंचाई विभाग के सीसीए व चक प्लान अनुसार मुरब्बा नं. 265/351 के कि.नं. 5—6—15—16—25 में खाला अंकित है तथा मौका पर चालू है, परन्तु इसी मुरब्बा नं. 265/351 के कि.नं. 1 ता 5 में सिंचाई विभाग के चक प्लान व सीसीए अनुसार खाला दर्ज नहीं है व मौका पर उक्त कि.नं. 1 ता 5 में खाला नहीं चल रहा है प्रार्थीगण के दादा/ससुर को उक्त रकबा आवंटन हुआ है जिसकी समस्त किश्त जमा होने पर खातेदारी सनद में उक्त मुरबा नं. 265/351 का 6.325 है. कमाण्ड मय खाला का अंकन हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 12 पीटीडी ए पं.नं. 265/351 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. इस प्रकार कुल 0.125 है. गैर मुमकिन खाला को मुमकिन करने के आदेश प्रदान करें व इसी मुरब्बा नं. के कि.नं. 5—6—15—16—25 में कुल 0.126 है. गैर मुमकिन खाला चक प्लान, सीसीए तस्दीक व मौका अनुसार यथावत रखा जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./19/3740 दिनांक 16.09.2019 से अवगत करवाया है कि चक 12 पीटीडी ए की जमाबंदी संवत 2069—72 पं.नं. 265/351 मु.नं. 24 कि.नं. 3/2 ... कुल 2.067 है. कमाण्ड मय खाला भूमि परमजीतकौर पत्नी बूटा... रामदासिया साकिन लालपुरा खातेदार रहन ओ.बी.सी. शाखा ... है तथा पं.नं. 265/351 मु.नं. 14 के कि.नं. 1 ता 3/1 ... 13, 18 ... सुखविन्द्रपाल पुत्र बूटाराम जाति रामदासिया साकिन लालपुरा छोटा ... ओ.बी.सी. शाखा ... संख्या दर्ज रिकार्ड है जिसके अनुसार कि.नं. 1 ता ... 5—6—15—16—25 में ... दो बिस्वा खाला दर्ज रिकार्ड है, परन्तु मौका पर कि.नं. 5—6—15—16—25 प्रत्येक किला में खाला चल रहा है तथा कि.नं. 1 ता 5 में दर्ज खाला मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

रहा है रिपोर्ट प्रेषित है। उक्त प्रकरण के संबंध में अधिशाषी अभियंता ब्रांच जल संसाधन खण्ड (आई.जी.एन.पी.) श्रीविजयनगर ने अपने पत्र 1050 दिनांक 08.07.2024 से अवगत करवाया है कि चक 12 पीटीडी ए के 265/351 के कि.नं. 1 ता 5 में कोई खाला स्वीकृत नहीं है एंव सीएडी विभाग जारी चक प्लान अनुसार भी कि.नं. 1 ता 5 में कोई खाला नहीं दर्शाया गया और न ही किसी को उक्त खाला की आवश्यकता है। अधिशाषी अभियन्ता, गढ़ ब्रांच जल संसाधन खण्ड–द्वितीय, श्री विजयनगर ने अपने पत्र क्रमांक 598 क 16.05.2017 से कमांड–अनकमांड की तस्दीक रिपोर्ट मे अवगत करवाया है चक 12 पी.टी.डी. ए में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मु.नं. 265/351 में बीघा नं. 25 कुल 25 बीघा नहरी (कमांड) है। गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड के अनुसार है।

सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर एवं अधिशाषी अभियन्ता का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम कि चक 12 पीटीडी मु.नं. 265/351 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. इस प्रकार कुल 0.125 है. गैर मुमकिन खाला के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त खाला मौके पर चालू नहीं है और न ही इस खाले की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर एवं अधिशाषी अभियन्ता, सूरतगढ़ ब्रांच जल संसाधन खण्ड–द्वितीय, श्री विजयनगर की मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधि. भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 12 पीटीडी ए मु.नं. 265/351 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. इस प्रकार कुल 0.125 है. गैर मुमकिन खाला निरस्त किया जाता है व इसी मुरब्बा नं. के कि.नं. 5-6-15-16-25 में कुल 0.126 है. गैर मुमकिन खाला चक प्लान, सीसीए तस्दीक व मौका अनुसार यथावत रखा जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड
अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड
अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner